भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5705

06 अप्रैल, 2022

"गन्ना उत्पादन"

5705. श्री विजय कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) गत वर्ष के दौरान गन्ने के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार विशेषकर बिहार में गन्ने के उत्पादन के लिए कोई सहायता/विशेष पैकेज उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;
(ग) क्या वर्तमान में गन्ने की खरीद के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले चीनी मौसम 2020-21 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान गन्ने के उत्पादन का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचारधीन नहीं है।

हालांकि, बिहार सरकार मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के माध्यम से राज्य योजना के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार 2021-22 के दौरान निम्न घटकों में किसानों को सब्सिडी दे रही है-

1) प्रजनक (ब्रीडर) बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन
2) आधार (फाउंडेशन) बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन
3) प्रमाणित (सर्टिफाइड) बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन
4) प्रमाणित बीज के वितरण पर सब्सिडी
5) जैव-उर्वरक और जैव-खाद के वितरण पर सब्सिडी
6) प्रशिक्षण व सेमिनार आदि

(ग) और (घ): जी हां, वर्तमान में केंद्रीय सरकार उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का निर्धारण करती है। तदनुसार, चीनी मौसम 2021-22 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य 10% की मूल रिकवरी 290/- रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो 10% से अधिक की रिकवरी के प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए 2.90 रुपए प्रति क्विंटल के प्रीमियम और 9.5% तक की रिकवरी दर में प्रत्येक 0.1% की गिरावट के लिए उसी दर पर उचित और लाभकारी मूल्य में कटौती के अध्यधीन है।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य (एसएपी) की घोषणा प्रत्येक वर्ष संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

****

लोक सभा में दिनांक 06.04.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 5705 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध

वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने के आंकड़ों का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन ('000 टन)
आंध्र प्रदेश	4138.64
अरुणाचल प्रदेश	46.44
असम	1093.13
बिहार	12109.80
छत्तीसगढ़	1756.39
गोवा	35.63
गुजरात	16954.72
हरियाणा	8531.72
हिमाचल प्रदेश	22.68
जम्मू एवं कश्मीर	0.08
कर्नाटक	42528.00
केरल	106.66
मध्य प्रदेश	5440.65
महाराष्ट्र	105137.60
मणिपुर	279.41
मेघालय	0.39
मिजोरम	42.96
नागालैंड	203.02
ओडिशा	381.31
पंजाब	7487.00
राजस्थान	393.74
तमिलनाडु	13284.63
तेलंगाना	1750.98
त्रिपुरा	48.58
उत्तर प्रदेश	178339.26
उत्तराखंड	3680.00
पश्चिम बंगाल	1418.25
पुदुचेरी	187.04
अखिल भारत	**405398.71**